

30/9/22

प्राप्त नोटिफिकेशन में स्पष्ट है कि मूल
अर्ज नं. 2- पंचायती नोटिफिकेशन के तहत
स्पष्टि की जाती है। पंचायत

पंचायती के तहत कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति का
नोटिफिकेशन किया गया। अर्ज अर्ज नहीं
किया है। अतः बाद पंचायती का नोटिफिकेशन
में स्पष्ट किया जाता है। पंचायती
के तहत सुचारु रूप से नंबर से नंबर
की जाकर दाखिल करवाए। अर्ज
के तहत न्यायालय में सुचारु जाकर
मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय द्वारा से
जाता किया गया।

not done
Mend
Adh
30/9/22

